कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक 6013 /2020 इंदौर,दिनांक 04.12.2020

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक जनसंपर्क अधिकारी, टैगोर मार्ग, (बाणगंगा) भोपाल संभाग भोपाल, की ओर लेख है कि स्थानिय समाचार में विज्ञप्ति प्रकाशित कर 10 दिवस के अन्दर विज्ञप्ति प्रकाशित समाचार पत्र–पत्रिका की प्रकाशित प्रति इस कार्यालय में भिजवायें।
2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री दिनेश चौहान, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय इन्दौर को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.nic.in पर अपलोड कर आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

04/12/20

कृते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला इंदौर म.प्र.

//कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर//

–:निविदा शर्तें:–

वर्ष 2020–21 हेतु सील बंद निविदायें निम्न शर्तों के अंतर्गत किराये पर लिये गये वाहन का किराया भुगतान कराये जाने हेतु ।

इस जिला स्थापना के लिए वर्ष 2020–21 पेट्रोल/डिजल वाहन किराये पर लिया जाना हैं जिस हेतु निविदा प्रपत्र व शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. पेट्रोल/डिजल वाहन किराये पर लिये जाने के संबंध में समस्त जानकारी www.mphc.nic.in पर देखी जा सकती है।
2. वाहन एस.यू.वी. पैटर्न का होना आवश्यक है।
3. आवेदक जी.एस.टी. हेतु पंजीकृत हो।
4. वाहन वातानुकूलित होगा तथा वाहन का मॉडल वर्ष 2019–20 से पूर्व का पंजीकृत नहीं होगा परंतु यह और भी कि कार्यालय की सेवा में लगाये जाने के पूर्व वह 10,000 किमी से अधिक नहीं चला होगा वाहन किराये पर लेने की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष तक रहेगी।
5. वाहन प्रत्येक दशा में अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसका क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय टैक्सी कोटे में पंजीयन होना चाहिए।
6. वाहन पेट्रोल/डीजल एवं ड्राईवर सहित उपलब्ध कराया जायेगा। वाहन में फ्यूल, मेंटेनेंस वाहन चालक का एवं समस्त व्यय वाहन प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
7. वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में वाहन प्रदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।
8. वाहन चालक लाइसेंस धारी होगा तथा उसका आचरण शालीन तथा अनुशासित होगा। उसके विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए। ड्राइवर के आचरण के संबंध में वाहन आवंटीत द्वारा कार्यालय में शिकायत किये जाने पर ड्राइवर को बदला जाना अनिवार्य होगा।
9. वाहन का आवश्यकतानुसार मेंटेनेंस किया जाना आवश्यक होगा, परन्तु ऐसे मेन्टेनेन्स के दिवस पर वाहन प्रदाता को वाहन आवंटीत को अन्य वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। वाहन की टूट–फूट होने पर रिपेयरिंग का खर्च नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन प्रदाता द्वारा किया जायेगा, जिसकी कोई प्रतिपूर्ति कार्यालय द्वारा नहीं की जायेगी।
10. समस्त देय शासकीय/अन्य करों आदि का नियमानुसार भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा वाहन किया जायेगा। भुगतान योग्य आयकर का कार्यालय द्वारा स्त्रौत पर कटौत्रा किया जायेगा। यद्यपि जी.एस.टी. का भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा किया जायेगा, परंतु इस संबंध में कार्यालय द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र मांगे जाने वाले वाहन प्रदाता द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. वाहन की चोरी अथवा क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
12. मानस्कि किराये के तहत वाहन का उपयोग मुख्यालय में प्रतिमाह अधिकतम 1000 किमी होगा किसी माह मे विशेष परिस्थिति में 1000 किमी से अधिक उपयोग पर प्रचलित प्रति किलोमीटर की दर पृथक से देय होगी। वाहन के ऐसे मासिक उपयोग पर ईधन की कोई सीमा नहीं होगी तथा वाहन प्रदाता द्वारा ईधन के मासिक उपयोग की सीमा तय करने के संबंध में कार्यालय या वाहन आवंटी को दिया गया पत्र वाहन प्रदाता की अनुशासनहीनता माना जायेगा और कार्यालय को अधिकार होगा कि द्वितीय सफल निविदाकर्ता को उसके द्वारा प्रदत्त दरों पर कार्यादेश दें, परंतु द्वितीय सफल निविदाकर्ता द्वारा अपनी सेवायें दिये जाने में असमर्थता दर्शित करने पर अन्य किसी भी एजेंसी को चाहे उसने इस निविदा प्रकिया में भाग लिया होगा या नहीं शेष अवधि के लिए उसी दर पर अथवा अधिक दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा। परंतु दोनों ही स्थितियों में दरों के अंतर की राशि का समायोजन वाहन प्रदाता द्वारा दी गई धरोहर राशि से किया जायेगा तथा धरोहर राशि के समायोजन मे कम होने पर वाहन प्रदाता के लंबित देयक की राशि से समायोजन किया जायेगा। परंतु किसी भी ऐसी स्थिति में कार्यालय के पास नवीन निविदा जारी करने का विकल्प सदैव उपलब्ध रहेगा।
13. आवेदक द्वारा निविदा में मुख्यालय शहर में 1000 किमी की सीमा तक वाहन के उपयोग हेतु फिक्स चार्ज, किसी माह में वाहन का उपयोग 1000 किमी से अधिक होने पर ऐसे अधिक किमी के

लिए रूपये प्रति किमी परिवर्तनशील दर (Variable Charge Rs. Per k.m.) पृथक–पृथक परंतु समस्त कर के साथ दर्शाई जायेगी। परंतु यह और भी कि मुख्यालय से बाहर भ्रमण की स्थिति में लगने वाले टौल टैक्स का भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा किया जायेगा व ऐसे व्यय की कोई प्रतिपूर्ति कार्यालय द्वारा नहीं की जावेगी।

14. यदि वाहन आवंटीत की इस संबंध में पूर्व अनुमति के बगैर वाहन तोन दिवस तक उपलब्ध नहीं रहता है तो वाहन आवंटी किसी अन्य प्रकार के हायर की गई टैक्सी उदाहरणार्थ उबेर/ओला आदि का उपयोग करेगा, जिसका भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा वाहन आवंटी को उस माह के देयक प्रस्तुत करने से पूर्व अनिवार्यतः किया जायेगा, जिसके अभाव में वाहन आवंटीत को ऐसी राशि का भुगतान वाहन प्रदाता के उस माह के देयक से कटौत्रा कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसी अनुपलब्धता के प्रत्येक दिवस के लिए रूपये 500/–(पांच सौ रूपये) के मान से वाहन प्रदाता के उस माह के भुगतान में कटौत्रा भी किया जायेगा। परंतु तीन दिवस से अधिक की अवधि के लिये बिना कार्यालय की अनुमति के वाहन अनुपस्थिति पर कार्यालय को अधिकार होगा कि ऐसे वाहन आवंटीत को वाहन उपलब्ध कराने के लिए द्वितीय सफल निविदाकर्ता को उसके द्वारा प्रदत्त दरों पर कार्यादेश दें परंतु द्वितीय सफल निविदाकर्ता द्वारा अपनी सेवायें दिये जाने में असमर्थता दर्शित करने पर अन्य किसी भी एजेंसी को चाहे उसने इस निविदा प्रकिया में भाग लिया हो या नहीं हो को शेष अवधि के लिए उसी दर पर अथवा अधिक दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा। परंतु दोनों ही स्थितियों में दरों के अंतर की राशि का समायोजन वाहन प्रदाता द्वारा दी गई धरोहर राशि से किया जायेगा तथा धरोहर राशि के समायोजन में कम होने वाहन प्रदाता के लंबित देयक की राशि से समायोजन किया जायेगा।

15. वाहन प्रदाता द्वारा संपूर्ण माह के लिए (अवकाश दिवसों सहित) निरंतर वाहन चालक सहित उपलब्ध कराया जायेगा। परंतु यह और भी कि तत्संबंध में किसी भी अधिनियम/नियम अंतर्गत वाहन चालक को वाहन प्रदाता द्वारा सप्ताह में एक दिन अवकाश दिये जाने की स्थिति में वाहन प्रदाता द्वारा शर्त क्र. 4,5,6 के अधीन रहते हुए किसी अन्य वाहन चालक के साथ वाहन को वाहन आवंटी को उपलब्ध कराया जाना होगा, अन्यथा वाहन आवंटी उस दिन के लिए शर्त क्र. 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. वाहन प्रदाता के विरूद्ध यदि किसी वाहन आवंटीत द्वारा तीन शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, कार्यालय को अधिकार होगा कि द्वितीय सफल निविदाकर्ता को उसके द्वारा प्रदत्त दरों पर कार्यादेश दे परंतु द्वितीय सफल निविदाकर्ता द्वारा अपनी सेवायें दिये जाने में असनर्थता दर्शित करने पर अन्य किसी भी एजेंसी को चाहे उसने इस निविदा प्रकिया में भाग लिया हो या नहीं को शेष अवधि के लिए उसी दर पर अथवा अधिक दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा। परंतु दोनों ही स्थितियों में दरों के अंतर की राशि का समायोजन वाहन प्रदाता द्वारा दी गई धरोहर राशि से किया जायेगा तथा धरोहर राशि के समायोजन में कम होने वाहन प्रदाता के लंबित देयक को राशि से समायोजन किया जायेगा, परंतु किसी भी ऐसी स्थिति में कार्यालय के पास नवीन निविदा जारी करने का विकल्प सदैव उपलब्ध रहेगा।

17. निविदा को मान्य, अमान्य, स्थगित करना या वाहनों की संख्या कम या ज्यादा करने का पूर्ण **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर** के पास सुरक्षित रहेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध की समय–सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।

18. वाहन में पेट्रोल/डीजल भराये जाने हेतु वाहन का उपयोग वाहन प्रदाता द्वारा किया गया उपयोग माना जायेगा तथा इसमें लगने वाली दूरी की गणना शर्त क्र. 12 के अधीन 1000 किमी में नहीं होगी, परंतु यह और भी कि यदि वाहन प्रदाता के अनुरोध पर यदि वाहन आवंटी द्वारा अपने व्यय पर वाहन में डीजल/पेट्रोल भरवाया जाता है, इस व्यय का भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा उस माह के देयक प्रस्तुत से पहले वाहन आवंटी को किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में उस माह के देयक का भुगतान नहीं हो सकेगा।

19. वाहन आवंटन कर निवास पर अथवा वाहन आवंटीत जहां चाहे वहां पे रखा जाना अनिवार्य है। परंतु यह और भी कि वाहन आवंटी के लंबे अवकाश पर जाने की स्थिति में कार्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि कार्यालय ऐसे वाहन को किसी अन्य अधिकारी को आवंटित करे परंतु वाहन प्रदाता के पास किसी भी स्थिति में वाहन रखे जाने पर वाहन प्रदाता सुनिश्चित करेगा कि कार्यालय की इस संबंध में पूर्व स्वीकृति के अभाव में इस वाहन का अन्यथा उपयोग न हों।

20. रूपये 50,000/–की अर्नेस्ट मनी 15 माह की एक एफ.डी. के रूप में जमा करनी होगी जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर के पक्ष में देय हो।

21. निविदा हेतु नियमानुसार एक लिफाफा संलग्न करना होगा।

(अ) लिफाफा जिसमें अर्नेस्ट मनी मय तथा निम्नलिखित दस्तावेज हों :–

- शर्त क्र. 01 के अधीन जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की स्वतः सत्यापित छायाप्रति।
- शर्त क्र. 20 के अधीन अर्नेस्ट मनी की एफ.डी.।
- अनुलग्नक (ए) अनुसार निविदाकर्ता की जानकारी।

प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोड़कर शेष की अर्नेस्ट मनी की एफडी निविदा खोले जाने की दिनांक पर ही वापिस कर दी जावेगी।

22. Selection of Bidder: निविदाकर्ता का चयन Annexure-B में बताये अनुसार न्यूनतम दर के आधार पर होगा Lowest वेंडर से Negotiation खुला रहेगा।

23. निविदा निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकर्ताओं को अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। सर्वप्रथम "अ" लिफाफा को खोलकर शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदाकर्ताओं की सूची तैयार की जायेगी। जिन निविदाकर्ताओं द्वारा शर्त 21 (अ) का पालन नहीं किया जायेगा, उनका लिफाफा नहीं खोला जायेगा। इस प्रकार खोले गये (ब) लिफाफे के अनुसार तैयार किये गये दरों के तुलनात्मक विवरण में न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय सफल निविदाकर्ता घोषित किया जायेगा।

24. निविदा स्वीकृत होने पर वाहन प्रदाता को कार्यालय को कार्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक पर वाहन उपलब्ध कराया होगा तथा वाहन चालक की जानकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

25. निविदाकर्ता को भुगतान मात्र निविदाकर्ता के नाम में ही देय होगा। भुगतान (Payment) किराये पर उपलब्ध कराये गये वाहनों का भुगतान भारतीय रूपये में इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा। अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। वाहन प्रदाता के लिए अनिवार्य होगा कि भुगतान के पूर्व जी.एस.टी. के संबंध में शासनादेश का पालन हो।

26. वाहनों के किराये पर भुगतान वाहनों के उपयोग पश्चात् वाहन आवंटी द्वारा उपयोग संबंधी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के बाद परंतु उपरोक्त शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

27. निविदा प्रकिया में तुलनात्मक विवरण तैयार करने हेतु यदि कार्यालय को कोई स्पश्टीकरण (Clarifications) चाहिए तो वे Financial Bid खोलने से पहले निविदाकर्ता को जानकारी देना अनिवार्य होगा।

28. यदि उपरोक्त शर्तों में आवेदक को किसी स्पश्टीकरण की आवश्कता है तो इच्छुक आवेदक निविदा जमा करने की दिनांक से 7 दिना पहले अपनी पृच्छा को कार्यालय के ई–मेल आई.डी. dcourtind-mp@nic.in पर "Tender" विषय के साथ ई–मेल कर सकते हैं।

29. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदाकर्ता को जारी होने के 15 दिवस के अंदर इस कार्यालय को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।

- फर्म का नाम (जैसा टेंडर फॉर्न में दिया गया)
- फर्म का बैंक जहां भुगतान क्रेडिट होना है।
- फर्म का बैंक का खाता नंबर।
- संबंधित बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड।

30. यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहन प्रदाता अथवा वाहन चालक की किसी भी अनुशासनहीनता संबंधी कार्यवाही पर कार्यालय को अधिकार होगा कि द्वितीय सफल निविदाकर्ता को उसके द्वारा प्रदत्त दरों पर कार्यादेश दे परंतु द्वितीय सफल निविदाकर्ता द्वारा अपनी सेवायें दिये जाने नें असमर्थता दर्शित करने पर अन्य किसी भी एजेंसी को चाहे उसने इस निविदा प्रकिया में भाग लिया हो या नहीं को शेष अवधि के लिए उसी दर पर अथवा अधिक दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा। परंतु दोनों ही स्थितियों में दरों के अंतर की राशि का समायोजन वाहन प्रदाता द्वारा दी गई धरोहर राशि से किया जायेगा तथा धरोहर राशि के समायोजन में कम होने वाहन प्रदाता के लंबित

देयक की राशि से समायोजन किया जायेगा, परंतु किसी भी ऐसी स्थिति में कार्यालय के पास नवीन निविदा जारी करने का विकल्प सदैव उपलब्ध रहेगा। अनुशासनहीनता मापदण्डों के निर्धारण में कार्यालय का मत अंतिम होगा।

31. किसी भी विवाद की स्थिति में **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर** का निर्णय मान्य रहेगा।

32. निविदा कर्ताओं को देयक प्रस्तुत करते समय लॉग बुक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् ही भूगतान कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

33. निविदा में आवेदन किये जाने का अर्थ होगा कि आवेदक का उपरोक्त समस्त शर्तें मान्य हैं।

कृते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला इंदौर म.प्र.